पत्र सख्या–15/डी0एल0ए0–खगड़िया (रेल)–02/12 .... –1533 .... /रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
(भू–अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

एस0 ओ0 /रा0 दिनांक 19-06-13 चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम– दिधरी , थाना नं0–180 परगना–फरकिया, थाना–गोगरी जिला–खगड़िया में सार्वजनिक प्रयोजन, अर्थात मानसी सहरसा रेल खंड अन्तर्गत पुल संख्या–51 के निकट रेल गाईड बांध का निर्माण मौजा दिधरी परियोजना के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के पूर्व पूर्वोक्त ग्राम– दिधरी थाना नं0–180 के भीतर कमोवेष बीघा X कट्ठा X छटांक X धुर का, जो मानक माप से 10.01 एकड़ के बराबर होता है, एक भू–खंड अपेक्षित है, जिसमें 9.39 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि है एवं 0.62 एकड़ बंजर भूमि है। जिसका खेसरा संख्या–4,13,14,16,55,56,57 एवं 66 का अंश है।

इस भू–खंड की चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर – सर्वे खेसरा सं0–4, एवं 14का अंश ।
दक्षिण – सर्वे सड़क खेसरा सं0– 16,15,4,55,56,57 एवं 66 का अंश।
पूरब – पूर्वोत्तर रेलवे की पश्चिमी सीमा रेखा, खेसरा संख्या–66
पश्चिम – सर्वे खेसरा सं0 –4 एवं 16 का अंश।

यह अधिसूचना (बिहार अधिनियम 11,1961 द्वारा यथा शंसोधित) अधिनियम–1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा भूमि अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यालय में देखा जा सकता है। बिहार सरकार भूमि–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे के पदाधिकारियों और स्टाफ का प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अपके कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर/कृषि योग्य है तथा उसका/उसकी तुरंत अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप–धारा–(4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा–5 अ के उपबंध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नही होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी खगड़िया। | अपर समाहर्त्ता, खगड़िया। | समाहर्त्ता खगड़िया। | सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक–1533 /रा0,दिनांक 19-06-13

प्रतिलिपि :– 1. तीन अतिरिक्त प्रतियॉ सी0 डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संसकरण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, खगड़िया को जिला गजट के अगले अंकम प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5–5 प्रतियॉ इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– 3. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,